[2021] 11 एस. सी. आर 9

जीतुल जेन्टल कोटेचा

बनाम

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी।

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1328-1333)

12 नवंबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बी वी नागरत्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस। 482 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ-तथ्यों का प्रयोग, भूमि के स्वामित्व पर विवाद-अपीलार्थी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 465,467,468 और 120 बी के तहत उत्तरदाताओं के खिलाफ दर्ज की गई एफ. आई. आर.-उत्तरदाता

नं. 2 एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 के तहत दायर 7 याचिकाओं के लिए-उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश कि जांच की जाए

जारी रखा गया लेकिन आरोप पत्र केवल इसकी अनुमति के साथ दायर किया जाना चाहिए उच्च न्यायालय के समक्ष दंडनीय अपराधों के लिए मसौदा आरोप पत्र रखा गया। 385 , 389 , 418 , 477 , 506 (2) , 120 बी और 34 आई. पी. सी.-मसौदा आरोप-पत्र ने भी उत्तरदाताओं को आरोपित किया। 8 और 9-उच्च

अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर सीमाओं का उल्लंघन किया / s.482 एफ. आई. आर. और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने में, और पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित करना और उसके समक्ष कार्यवाही में मसौदा आरोप-पत्र की सामग्री पर आगे विचार करना-उच्च न्यायालय एक "मसौदा आरोप-पत्र" पर भरोसा नहीं कर सकता है जिसे अभी तक मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए रखा जाना है-उच्च न्यायालय का निर्देश कि आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से पहले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत न करें।

इससे पहले कि यह किसी भी तर्क से रहित था-अंतरिम निर्देश सीआरपीसी के तहत परिकल्पित जांच प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप के बराबर था-इसके अलावा, प्राथमिकी में आरोप

प्रथम दृष्टया इंगित करता है कि प्रतिवादी संख्या 6 और 7 में प्रवेश किया

एस. बी. के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ अस्थिर समझौते और अपीलार्थी से धन की जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया गया था-उच्च अदालत ने कहा कि उनके चेहरे पर लगे आरोपों से

पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने आई. पी. सी. की धारा 385 के तहत जबरन वसूली का अपराध किया और निर्देश दिया कि उनके खिलाफ जांच जारी रखी जाए-हालांकि,

11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप की जांच करने में पूरी तरह से विफल रहा-इस प्रकार, जब अभियुक्त को एक विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, तो उच्च न्यायालय यू/के तहत प्राथमिकी को रद्द नहीं कर सकता था। s.482-जहां तक संबंध है, प्रतिवादी संख्या। 8 और जिन 9 लोगों को प्रारूप आरोप-पत्र में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, न कि एफ. आई. आर. में, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारूप आरोप-पत्र रखे जाने से पहले याचिकाओं को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई और उच्च न्यायालय उनकी याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। s.482-प्रत्यर्थी संख्या के खिलाफ जांच में उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप। 8 और 9 समय से पहले था और वारंट नहीं था-इसका स्पष्ट दुरुपयोग हुआ है

इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया।

एस। 482 - उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ-प्रयोग-आयोजितः उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और

चौकसी के साथ-अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को सनक और सनक के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं-अंतर्निहित शक्तियों को वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है उच्च न्यायालय न तो किसी जांच एजेंसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है

- उसके सामने जांच रिपोर्ट और न ही यह किसी अपराधी को खारिज कर सकता है

यू/एस आगे बढ़ रहा है। 482 इस तरह की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए जब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत नहीं की गई है।

एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5736-39 से उत्पन्न अपीलों की अनुमति देना।

वर्ष 2019 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5734 और 2019 की 5735 से उत्पन्न अपीलों को खारिज करते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1. उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम और सावधानी के

साथ करना चाहिए। अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालय को कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

सनक या मनमौजी के अनुसार। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग वैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। [पैरा

20] [29 - एफ-एच]

जुगेश सहगल बनाम। शमशेर सिंह गोगी (2009) 14 एससीसी

683 [2009] 10 एस. सी. आर. 857; सिमरीखिया बनाम। डोले

मुखर्जी (1990) 2 एससीसी 437: [1990] 1 एससीआर 788; प्रतिभा बनाम। रामेश्वरी देव (2007) 12 एससीसी 369:

[2007] 9 एस. सी. आर. 1038-संदर्भित।

2.1 . पुलिस के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 156 के तहत संज्ञेय अपराध की जांच करने का वैधानिक अधिकार है।

उप-जीतुल जेन्टल कोटेचा बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

ईटीसी।

सी. आर. पी. सी. की धारा 173 की धारा 2 (आई) में प्रावधान है कि जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट भेजेगा, जो सी. आर. पी. सी. में कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। रिपोर्ट करें। अपराध का संज्ञान लेने से पहले, मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना पड़ता है और वह पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से बाध्य नहीं होता है। उच्च न्यायालय न तो किसी जांच एजेंसी को अपने समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और न ही एस के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। 482 इस तरह की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए जब रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है

मजिस्ट्रेट। [पैरा 20] [30-सी-ई] 2.2 . उच्च न्यायालय ने 2 मई, 2016 के अपने अंतरिम आदेश में आरोपी के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन

2.3 . एक विशिष्ट स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया जाता है और धारा 482 के तहत कार्यवाही होती है - उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, उच्च न्यायालय एक "मसौदा आरोप पत्र" पर भरोसा नहीं कर सकता है जिसे धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष रखा जाना बाकी है। [पैरा 21] [31 जी-एच; 32-ए]

कप्तान सिंह बनाम। 2021 की उत्तर प्रदेश आपराधिक अपील संख्या 787; महेंद्र के. सी. बनाम की स्थिति

2021 की कर्नाटक आपराधिक अपील संख्या 1238-निर्दिष्ट

को।

[2021] 11

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2.4 . एफ़. आई. आर. में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि छठे और सातवें उत्तरदाताओं ने गड़बड़ कर दी।

एस. बी. के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ समझौते और अपीलार्थी से धन की जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि उनके चेहरे पर लगे आरोपों से पता चलता है कि चौथे और पांचवें प्रतिवादी ने आई. पी. सी. की धारा 385 के तहत जबरन वसूली का अपराध किया और निर्देश दिया कि उनके खिलाफ जांच जारी रखी जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप की जांच करने में पूरी तरह से विफल रहा, जहां यह आरोप लगाया गया है कि वे भी इस तरह की जबरन वसूली के लिए गुप्त थे। इस प्रकार, ऐसी परिस्थितियों में, जब किसी विशिष्ट भूमिका का श्रेय अभियुक्त को दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय

एस के तहत एफ. आई. आर. को रद्द नहीं किया है। 482 सीआरपीसी से। [पैरा 23] [33 एफ-एच; 34-ए]

2.5 . अपने विवादित फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि कुछ व्यक्ति (आठवां और नौवां)

प्रत्यर्थियों) जिन्हें मसौदा आरोप पत्र में अभियुक्त के रूप में नामित किया गया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष मसौदा आरोप पत्र रखे जाने से पहले रद्द करने वाली याचिकाएं दायर की थीं। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने में सार है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही ने एक असामान्य पाठ्यक्रम का पालन किया है, यदि असाधारण नहीं। उच्च न्यायालय एस के तहत रद्द करने के लिए याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। 482 उन व्यक्तियों के कहने पर जिनका नाम विशुद्ध रूप से एफ. आई. आर. में नहीं था

अधिकारी केवल अंतरिम आदेश के अनुसार सक्षम अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसकी अनुमति लेने के लिए। सी. आर. पी. सी. की धारा 207 के तहत आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध होने

के बाद आरोपी द्वारा जांच के दौरान क्या हुआ है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जाहिर है, वे व्यक्ति जिनके नाम मसौदे में उल्लिखित थे आरोप-पत्र ने पहले ही धारा 482 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके पूर्व जांच अधिकारी ने उच्च न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया था ताकि उसे सक्षम अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जा सके।

कानून के अनुसार। मसौदा आरोप-पत्र उच्च न्यायालय में रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर करने का रिकॉर्ड करता है जो इंगित करेगा

कि आरोप-पत्र के जितुल जेन्टल कोटेचा बनाम के ध्यान में लाए जाने से पहले ही।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

ईटीसी।

उच्च न्यायालय में, रद्द करने के लिए याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी थीं। उच्च न्यायालय को इन विकास पर ध्यान देना चाहिए था। अपीलार्थी ने मौखिक और लिखित दोनों प्रस्तुतियों के दौरान प्रस्तुत किया है कि इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि अभियुक्त पुलिस के साथ संलिप्त थे। उच्च न्यायालय को करना चाहिए

इसकी प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जीवित रहे हैं। [पैरा 24] [34-ए-ई; 35-ए-बी]

विभिन्न खारिज करने वाली याचिकाओं में आवेदकों ने उन आवेदकों के संबंध में प्राथमिकी और मसौदा आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए आगे बढ़े हैं जिन्हें प्राथमिकी में आरोपी के रूप में भी पेश नहीं किया गया था। आठवें और नौवें उत्तरदाताओं के खिलाफ जांच में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप समय से पहले था और इसकी आवश्यकता नहीं थी। [पैरा 25] [35-सी-ई] 2.7 . मौखिक दलीलों के दौरान, उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि एक पूर्व शिकायत की गई थी

अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप

आरोप-पत्र प्रस्तुत करना। प्रत्यर्थियों को इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहिए था कि 8 जुलाई, 2021 को आपराधिक विविध मामलों में उच्च न्यायालय। 2021 की आवेदन संख्या 10523 ने अपीलार्थी के कहने पर पूर्व शिकायत के साथ-साथ आरोप-पत्र और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया था, एक तथ्य जो अपीलार्थी की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों से सामने आया था। एक अन्य निवेदन जो प्रत्यर्थियों की ओर से आग्रह किया गया था, वह यह है कि अपीलार्थी ने

कुछ अभियुक्तों और पूरे के संबंध में समझौता

एफ. आई. आर. को रद्द कर दिया गया। इस पहलू पर, अपीलार्थी ने लिखित प्रस्तुतियों में आपराधिक विविध का ज्ञापन दर्ज किया है। 2021 का आवेदन संख्या 10529 दो व्यक्तियों (चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं) द्वारा दायर किया गया था, जिनके संबंध में कार्यवाही की गई थी।

जारी रखने का निर्देश दिया। इस पृष्ठभूमि में आदेश दिनांकित [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

9 जुलाई 2021 में दर्ज किया गया है कि पूरी प्राथमिकी रद्द कर दी गई है। 8 जनवरी, 2019 के विवादित आदेश के परिणामस्वरूप उक्त दो व्यक्तियों को छोड़कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी गई। इसलिए, 9 जुलाई 2021 के आदेश ने केवल उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

शेष दो अभियुक्त जिनके साथ बाद में समझौता किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने कहा कि 2019 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5734 और 5735 पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। उत्तरदाता उपरोक्त एस. एल. पी. में उस भूमि के विक्रेता के कानूनी उत्तराधिकारी हैं जिससे अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने भूमि खरीदी है और उनके पति/पत्नी हैं। अन्य अभियुक्त कथित रूप से वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अव्यवस्थित समझौतों को निष्पादित किया था या उनके निष्पादन में सहायता की थी (आठवें प्रतिवादी) और जिन पर अपीलार्थी से धन की जबरन वसूली में पक्षकार होने का आरोप है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने प्रयोग पर सीमाओं का उल्लंघन किया

एस के तहत इसकी अधिकारिता। 482 एफ. आई. आर. और सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करने में सी. आर. पी. सी. एक स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। [पैरा 26,27] [35-एफ-एच; 36-ए-ई]

मामला कानून संदर्भ

[2009] 10 एससीआर 857

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[1990] 1 एससीआर 788

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

[2007] 9 एससीआर 1038

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

नं. 1328-1333 2021 से।

उच्च न्यायालय के 08.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के Crl.M.A. Nos.9885,10534,10612 और 10651 और S.Crl.A. सं. 10140 और 2016 का 5859।

निखिल गोयल, जय एम. ठक्कर, सुश्री नवीन गोयल, विनय मैथ्यू,

अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री अर्चना पाठक दवे, सुश्री दीपानविता प्रियंका, सोमेश

चंद्र झा, राहुल नारंग, करण भरीहोक, सिद्धांत शर्मा, सुश्री नेहा सहाय भरीहोक, खिलान चंद्रानी, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय जीतुल जेन्टल कोटेचा बनाम द्वारा दिया गया था।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस.

ईटीसी।

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. अपीलों का यह समूह गुजरात उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 8 जनवरी 2019 के एक फैसले और आदेश से उत्पन्न होता है। उच्च न्यायालय ने एक प्राथमिकी 1 को रद्द कर दिया जो निजी के खिलाफ दर्ज की गई थी

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 2 की धारा 482 के तहत उत्तरदाताओं, भारतीय दंड संहिता 1860 3 की धारा 385 के तहत चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं के खिलाफ आरोपों को छोड़कर, जिनके संबंध में जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है।

2. 13 अप्रैल 2016 को, अपीलार्थी द्वारा की गई शिकायत पर गांधीग्राम पुलिस स्टेशन, राजकोट द्वारा आईपीसी की धारा 465,467,468 और 120बी के तहत निजी प्रतिवादियों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफ. आई. आर. की सामग्री नीचे स्पष्ट की गई है।

3. राजकोट के वेजा गांव में स्थित एक संपत्ति कथित तौर पर सरकार द्वारा शामजिभाई जेसाभाई कोली को आवंटित की गई थी।

सेना में उनकी सेवा। अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि उसने और उसके भाई ने 1 रुपये के बदले में संपत्ति खरीदी और बेचने का समझौता शामजीभाई ने पहले उनके पक्ष में किया था

एक नोटरी। भूमि के अधिकार को मंजूरी देने और सरकार की मंजूरी प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी और उसके भाई के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय शक्ति को कथित रूप से निष्पादित किया गया था। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि 1999 में, उसने विक्रेता को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा 4,00,000 रुपये और नकद में 4,00,000 रुपये का भुगतान किया। शामजिभाई पर आरोप है कि उन्होंने 19 मई 1999 को अपीलार्थी, उनके पिता और उनके भाइयों के पक्ष में एक बिक्री विलेख दर्ज किया था। शामजिभाई पर आरोप है कि उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी को भी निष्पादित किया था उसी तारीख को अपीलार्थी और उसके ससुर के पक्ष में। पावर ऑफ अटॉर्नी ने उल्लेख किया कि शामजिभाई ने स्वीकार कर लिया था

भूमि के लिए विचार और अपीलार्थी को अधिकार सौंप दिया था

और उसका परिवार। शामजिभाई पर आरोप है कि उन्होंने एक अन्य समझौते को अंजाम दिया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि उन्हें 2,00,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाना था। 9 जनवरी 2006 को, गुजरात सरकार ने भूमि की बिक्री की अनुमति दी और अपीलार्थी और उसके परिवार द्वारा कथित रूप से 13,76,000 रुपये का प्रीमियम का भुगतान किया गया। पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में, अपीलार्थी के ससुर ने ओम प्रकाश कोटेचा, मुकुल कोटेचा, केतन कोटेचा और उनकी पत्नी दीपाबेन को जमीन बेच दी और इसमें एक बिक्री विलेख दर्ज किया।

1 2016 की एफ. आई. आर. सं. I-124

3 " आई. पी. सी " 4 2016 [2021] 11 एस. सी. आर. की एफ. आई. आर. सं. I-124।

ध्यान दें। अपीलार्थी दावा करता है कि संपत्ति पर उसका कब्जा रहा है

1999 से।

संपत्ति, रुपये 5,51,000 के विचार के लिए। एक ज्ञापन यह समझौता भी किया गया था कि जमीन को 2 करोड़ रुपये में बेचा जाना है। दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं पर आरोप है कि उन्होंने रुपये 5,00,000 के भुगतान के बदले छठे उत्तरदाता के साथ एक और पावर ऑफ अटॉर्नी और समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया है।

6. 20 मार्च 2015 को, अपीलार्थी के कहने पर दर्ज की गई प्राथमिकी से पहले, अपीलार्थी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। और उसके परिवार के सदस्यों ने डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन, राजकोट में आई. पी. सी. की धारा 406,409,420,465,467,447,34,114 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दूसरे प्रतिवादी द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर आरोप लगाया कि अपीलार्थी द्वारा पूरे भुगतान के बिना संपत्ति प्राप्त की गई थी। अपीलार्थी ने तर्क दिया है कि दूसरे प्रतिवादी ने यह खुलासा नहीं किया कि ₹1 का भुगतान अपीलार्थी द्वारा एक डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया गया था जो शामजीभाई के खाते में जमा किया गया था।

7. अपीलार्थी ने आगे आरोप लगाया है कि चौथे प्रत्यर्थी, जो दूसरे प्रत्यर्थी का जीवनसाथी है, ने उस पर समझौता करने के लिए दबाव बनाने के लिए उसे एक वकील के कार्यालय में बुलाया। कथित तौर पर करोड़ों रुपये की राशि की मांग की गई है।

अपीलार्थी से, यह कहते हुए कि भूमि भू-माफियाओं को बेच दी गई थी। पांचवें प्रतिवादी, तीसरे प्रतिवादी के जीवनसाथी पर भी समझौता करने के लिए अपीलार्थी से पैसे की मांग करने का आरोप है। चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं पर आरोप है कि उन्होंने दूसरे और तीसरे द्वारा निष्पादित वकीलों की शक्तियों और कार्यों के गवाह के रूप में काम किया है।

तीसरे पक्ष के साथ उत्तरदाता।

5 2011 का दीवानी मुकदमा सं. 157

6 " समझौता ज्ञापन "

7 2015 का एफ. आई. आर. सं. I-11 जीतुल जे. जे. कोटेचा बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

8. अपीलार्थी ने उत्तरदाताओं के खिलाफ गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और 13 अप्रैल को एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

2016 आईपीसी की धारा 465,467,468 और 120 बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए। दूसरे से सातवें उत्तरदाताओं ने अपने खिलाफ अपीलार्थी के कहने पर दर्ज प्राथमिकी 1010 को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कीं। 2 मई 2016 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जांच जारी रह सकती है लेकिन आरोप पत्र केवल उसकी अनुमति से दायर किया जाए।

9. आठवें और नौवें उत्तरदाताओं का नाम प्राथमिकी में नहीं था। गिरफ्तारी की आशंका में, उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी और उन्हें

सत्र न्यायालय, राजकोट। इसके बाद, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्राथमिकी को रद्द करने के लिए याचिकाएं भी दायर कीं।

10. आई. पी. सी. की धारा 385,389,418,477,506 (2), 120बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक मसौदा आरोप-पत्र रखा गया था। आरोप-पत्र के मसौदे में उनके खिलाफ आरोप भी हैं।

आठवें और नौवें उत्तरदाता। यह आरोप लगाया गया है कि आठ प्रतिवादी जो एक वकील हैं, ने अन्य अभियुक्तों को झूठे दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में मदद की-अधिवक्ता की शक्तियां और समझौता ज्ञापन। नौवें प्रतिवादी पर आरोप है कि उसने 25 फरवरी को दूसरे प्रतिवादी के साथ समझौता किया था।

2015 रुपये 41,51,000 के भुगतान के बदले।

11. एफ. आई. आर. को रद्द करने की याचिकाओं को उच्च न्यायालय द्वारा 8 जनवरी 2019 के अपने विवादित फैसले द्वारा अनुमति दी गई थी।

चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 385 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए जांच। उच्च न्यायालय का निष्कर्ष नीचे दिया गया है:

" 10.4 पूर्वगामी विश्लेषण और टिप्पणियों का परिणाम यह है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि जबरन वसूली के प्रयास की धारा 385 के तहत अपराध करणभाई गोरधनभाई सोलंकी और मगनभाई देवाभाई वाघेला (आपराधिक विविध के आवेदक) के खिलाफ स्थापित किया गया है। आवेदन संख्या 10534/2016)। इसलिए, उनके खिलाफ धारा 385 के तहत अपराध के लिए आगे की जांच आगे बढ़ेगी। एफ. आई. आर. और मसौदे में जैसा आरोप लगाया गया है वैसा कोई अपराध नहीं है

8 2016 की एफ. आई. आर. सं. I-124 9 करोड़। 2016 का एम. ए. सं. 9885, सी. आर. एल. 2016 का एम. ए. सं. 10534, सी. आर. एल. 2016 का एम. ए. 10612 और सीआरएल। 2016 का एम. ए. सं. 10651

10 2016 की एफ. आई. आर. सं. I-124 11 एस. सी. आर. एल. 2016 का ए. सं. 10140 और एस. सी. आर. एल. 2016 [2021] का ए. सं. 5859 11 एस. सी. आर.

कहा जाता है कि बाकी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र स्थापित कर लिया गया है। इस संबंध में जितनी जल्दी हो सके आवश्यक रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया धारा 385 के तहत अपराध ने अपीलार्थी से प्रवेश करने के लिए धन की मांग की है।

मैं समझौता करता हूँ। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" 9. 1 वर्तमान मामले में, एफ़. आई. आर. की सामग्री से पता चलता है कि

शमजिभाई की बेटी रिताबेन और सविताबेन

धन उगाही के उद्देश्य से पहले सूचना देने वाले से संबंधित भूमि के अधिकार और अधिकार को खतरे में डालने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ वकीलों की विभिन्न शक्तियों को निष्पादित किया। यह भी आरोप लगाया गया है कि तीन महीने पहले, रिताबेन @रमाबेन के पति ने उन्हें एक वकील श्री बी. बी. मेहता के कार्यालय में समझौते के लिए बुलाया था, और उन्हें सूचित किया था कि उन्होंने पहले ही माफियाओं को जमीन देने के लिए भूमि के स्वामित्व को निष्पादित कर दिया है और उनसे पैसे ले लिए हैं। और अगर वह समझौता करना चाहता है, तो उसे करोड़ों रुपये देने होंगे। एक-दो दिन बाद, कलुभाई ने उन्हें फोन किया और बताया कि

करणभाई ने उन्हें (कलुभाई) सूचित किया है कि उनके पति

सविताबेन, यानी मगनभाई ने समझौता करने के लिए पैसे की मांग की है। यह भी आरोप लगाया गया है कि डेढ़ साल पहले करण अपने दलाल मित्र पुनीत कोली के साथ उनके होटल यूरोपिन गए थे और उनसे पांच करोड़ की मांग की थी, और यह भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वह उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे और उन्हें जेल जाना होगा। ये दोनों व्यक्ति मगन और करण हैं।

पावर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेजों में गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए गए। पहले मुखबिर ने आरोप लगाया है कि करणभाई गोरधनभाई

(आवेदक सोलंकी और मगनभाई देवाभाई वाघेला आवेदन संख्या 10534/2016) ने उनसे संपर्क किया था और कहा था

कि भूमि भू-माफियाओं को हस्तांतरित कर दी गई है और यदि वह समझौता करना चाहता है तो उसे करोड़ रुपये देने होंगे। समझौते के माध्यम से धन की मांग धारा 385 के तत्वों को संतुष्ट करेगी। पूर्वगामी विश्लेषण और टिप्पणियों से, प्रथम दृष्टया पता चलता है कि करणभाई गोरधनभाई सोलंकी (आवेदक नं. 1 क्रि का। विविध आवेदन सं. 10534/2016) रिताबेन @रमाबेन और मगनभाई देवाभाई वाघेला के पति (एल. जे. कोटेचा बनाम के आवेदक सं. 2)।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

क्राई। विविध। आवेदन सं. 10534/2016), जो सविताबेन के पति हैं।

दूसरे और तीसरे के खिलाफ आरोपों के संबंध में

हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आरोप कि उनके पास तीसरे के पक्ष में वकील और निपटान विलेख की शक्तियां थीं, जालसाजी, जबरन वसूली या धोखाधड़ी के अपराध नहीं होंगे।

फैसले का सार नीचे दिया गया है:

" 9.2 यह विवाद में नहीं है कि रिताबेन और सविताबेन ने अन्य अभियुक्तों के पक्ष में विभिन्न शक्तियों को निष्पादित किया है। रिताबेन

जालसाजी, जबरन वसूली या धोखाधड़ी के अपराध की आवश्यकता। ऐसे दस्तावेजों की वैधता की जांच हमेशा सिविल में की जा सकती है। कार्यवाही "।

उच्च न्यायालय ने कहा कि छठे से नौवें बच्चे के खिलाफ आरोप प्राथमिकी में कथित अपराधों का गठन नहीं करते हैं। उच्च टी ने इस प्रकार देखा:

रिताबेन ने 07.06.2011 पर निपटान विलेख भी किया है जिसके द्वारा वे दो करोड़ रुपये में जमीन बेचने के लिए सहमत हुए हैं और रु. 5,00,000/- (केवल पांच लाख रुपये) की राशि भी है। रिताबेन को भुगतान किया।

10.1 क्रिमिनल मिस्क में। 2016 का आवेदन संख्या 10651, आवेदक आरोपी-किरण परशोत्तम हपालिया, एक अन्य पावर ऑफ अटॉर्नी को रिताबेन और सविताबेन द्वारा उनके नाम पर निष्पादित किया जाता है और एक समझौता [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विलेख को 20.11.2012 पर निष्पादित किया जाता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उन्हें एक अश्विन और रमेश निशित से नकद द्वारा रु. 3,00,000/- (दो लाख रुपये) और रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावा निपटान विलेख में यह दर्ज किया गया है कि यदि संपत्ति का कोई भी हिस्सा प्रभावित होता है तो वे उसका 50 प्रतिशत हिस्सा देंगे और यदि कोई समझौता होता है तो उन्हें राशि का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार, उपरोक्त दोनों मामलों में कोई अपराध नहीं है जैसा कि प्राथमिकी या मसौदे में आरोप लगाया गया है।

10.2 क्री में। विविध। आवेदन संख्या 5859/2016, आवेदक-अभियुक्त जतिन हसमुख पिपलिया का नाम एफ. आई. आर. में नहीं है। इसके बाद मसौदा आरोप पत्र में उन्हें आरोपी के रूप में पेश किया गया है। यह कहा गया है कि उन्होंने रिताबेन के साथ दिनांकित 25.2.2015 समझौता विलेख

में प्रवेश किया था जिसके लिए उन्होंने भुगतान किया था 41, 51, 000/- रुपये चेक और नकद द्वारा।

10.3 क्रिमिनल मिस्क में। आवेदन संख्या 10140/16, आवेदक आरोपी बाबूभाई नानजीभाई भोखोडिया का नाम आरोप पत्र में नहीं है। आरोप पत्र के मसौदे में उनकी भूमिका यह है कि उन्होंने अन्य अभियुक्तों को पावर ऑफ अटॉर्नी और निपटान विलेख से संबंधित दस्तावेज बनाने में मदद की है। इस प्रकार भले ही आरोप स्वीकार किए जाते हैं तो दोनों आवेदकों के खिलाफ धारा 385,389,418,423,477,506 (2), 120-बी और धारा 34 के तहत अपराध स्थापित किया जाता है।

दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं और अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से विवाद का निपटारा कर दिया है। उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित आदेश द्वारा 9 जुलाई 2021 ने चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं के खिलाफ सभी परिणामी कार्यवाही सहित प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर दिया।

पक्षों ने विवाद सुलझा लिया था। समझौते के कारण, अपीलकर्ता दूसरे से पांचवें उत्तरदाताओं के खिलाफ विशेष अनुमति याचिकाओं 1 2 पर जोर नहीं दे रहा है, जो शामजीभाई और उनके कानूनी उत्तराधिकारी हैं।

पतियों।

12. अपीलार्थी की ओर से श्री निखिल गोयल विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि:

(i) अपीलार्थी के खिलाफ पूर्वाग्रह के तर्क का आग्रह इस बात पर प्रकाश डालते हुए किया गया था कि उनके खिलाफ पहले की प्राथमिकी

अपीलार्थी (जिसे तारीख तक रद्द कर दिया गया है) पंजीकृत किया गया था

1 2 2019 का एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) सं. 5734 और 5735 एन. टी. आई. एल. ए. एल. कोटेचा बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. टी सी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

डी. सी. बी. पुलिस थाने के समक्ष और इसलिए, अपीलार्थी

एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए गांधीग्राम पुलिस स्टेशन भेजा गया। हालाँकि, वास्तव में, यह डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन है जिसने उत्तरदाताओं के खिलाफ अपराध की जाँच की है।

डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन द्वारा की गई जाँच से पता चला है कि:

(क) इनके बीच एक पूर्व नियोजित आपराधिक साजिश थी।

झूठे समझौता ज्ञापनों को निष्पादित करके भूमि के स्वामित्व के संबंध में विवाद पैदा करने के लिए अभियुक्त;

(ख) यह भूमि 1999 में शामजिभाई द्वारा एक पंजीकृत याचिका के माध्यम से अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की गई थी।

बेचने का समझौता और अपीलार्थी के ससुर के पक्ष में एक पावर ऑफ अटॉर्नी भी निष्पादित किया गया था।

(ग) एक कब्जे की रसीद जारी की गई थी; (घ) रुपये 8,00,000 का प्रतिफल प्राप्त हुआ था

शामजीभाई;

(ई) 2006 में सरकार से भूमि की बिक्री की अनुमति प्राप्त की गई थी, जिस समय तक शामजिभाई गुजर चुके थे।

दूर; और

(च) पावर ऑफ अटॉर्नी धारक ने तब पावर ऑफ अटॉर्नी के बल पर चार बिक्री विलेखों को निष्पादित किया था

शामजिभाई की मृत्यु;

कुछ अभियुक्त, जिनका नाम एफ. आई. आर. में नहीं था, उन्होंने इस आशंका के आधार पर खारिज करने वाली याचिकाएँ दायर की थीं कि आरोप पत्र में उनका नाम हो सकता है। गिरफ्तारी की आशंका अग्रिम जमानत के लिए आवेदन को जन्म दे सकती है, लेकिन प्राथमिकी में नामित व्यक्ति के कहने पर रद्द करने की याचिका को नहीं। यह तथ्य कि इन अभियुक्तों को पता था कि वे होंगे मसौदा आरोप-पत्र में नामित इस निष्कर्ष को जन्म देता है कि आरोपी पुलिस के साथ मिलीभगत में थे। उच्च न्यायालय को [2021] 11 एस. सी. आर. की रखरखाव क्षमता पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी याचिकाएँ और अभियुक्तों से उनकी जानकारी के स्रोत पर पूछताछ की कि उन्हें मामले में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

मसौदा शुल्क-पत्रक;

(v) उच्च न्यायालय के निष्कर्ष एफ. आई. आर. की सामग्री पर आधारित हैं और सी. आर. पी. सी. की धारा 173 के तहत जांच की अंतिम रिपोर्ट को ध्यान में नहीं रखते हैं जो उसके सामने रखी गई थी; और (vi) शामजिभाई और उनके जीवनसाथी के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं थे।

अपीलार्थी के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाला गया।

13. दूसरी ओर, श्री करण भरीहोक और श्री खिलान

छठे से नौवें उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए द्रानी ने कहा कि:

((i)

एफ़. आई. आर. में केवल छठे के खिलाफ आरोप हैं और

सातवाँ उत्तरदाता और आठवाँ और नौवाँ उत्तरदाता

एफ. आई. आर. में नाम नहीं दिया गया है;

((ख)

सबसे अधिक, छठे से नौवें उत्तरदाताओं को कहा जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित मुकदमे को वित्तपोषित किया है

इसका विवादित निर्णय; जवाब देने वाले के खिलाफ जबरन वसूली का कोई आरोप नहीं है।

(iii)

उत्तरदाताओं;

अधिवक्ता की शक्तियां और समझौता ज्ञापन पहले भी निष्पादित किए जा चुके हैं

((iv)

एक नोटरी। इस प्रकार, इसके बावजूद, ये दस्तावेज ऐसा नहीं कर सकते हैं

झूठा या जाली कहा जाए; आठवें प्रतिवादी को केवल खाते में ही शामिल किया गया है

(v)

दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना, जो आरोपों की तुच्छ प्रकृति को दर्शाता है;

(vi) अपीलार्थी के खिलाफ पहले की एफ. आई. आर. ने एक आरोप पत्र को जन्म दिया जिसमें उल्लेख किया गया था कि वकील और बिक्री की शक्तियाँ

विलेख जाली थे और ऐसे जाली दस्तावेजों के आधार पर, अपीलार्थी ने भूमि को नए कार्यकाल से पुराने कार्यकाल में बदलने की अनुमति प्राप्त की थी।

राजस्व अधिकारियों के साथ मिलीभगत;

(vii) डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन द्वारा 9 अगस्त 2017 को आरोप पत्र दायर करने की अनुमति का अनुरोध केवल एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों को दोहराता है। इसके अलावा, इस दस्तावेज़ को कभी भी रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था और यह अपीलार्थी द्वारा टीआईएलएएल कोटेचा v में किया गया एक प्रयास है।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. सी. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

अपीलार्थी के पक्ष में दस्तावेज़ बनाने के लिए पुलिस निरीक्षक के साथ मिलीभगत;

गांधीग्राम पुलिस स्टेशन में एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी और डी. सी. बी. पुलिस की जाँच में कोई भूमिका नहीं थी।

इस प्रकार, डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन द्वारा आरोप पत्र दायर करने की अनुमति का अनुरोध अपीलार्थी के प्रभाव और डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन द्वारा की गई जांच की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को दर्शाता है। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में आरोप-पत्र के मसौदे पर विचार किया था, जो इस बात से स्पष्ट है कि

जबरन वसूली के अपराध की चर्चा, जिसका प्राथमिकी में कोई संदर्भ नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने उन बयानों और दस्तावेजों का उल्लेख किया है जो मसौदा आरोप-पत्र का हिस्सा थे।

जिन प्रतिवादियों का नाम प्राथमिकी में नहीं था, उन्हें जांच के दौरान पुलिस द्वारा परेशान किया गया था। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी

राजकोट सत्र न्यायालय, जिसे अनुमति दी गई थी। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष रद्द करने की याचिकाएं दायर कीं। दीवानी अदालत ने मध्यस्थता के लिए आवेदन की अनुमति दी थी

दूसरे और तीसरे उत्तरदाताओं द्वारा दायर निषेधाज्ञा। इस आदेश को अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 43 नियम 1 के तहत सत्र न्यायालय, 1313 के समक्ष चुनौती दी थी, लेकिन इसे 22 नवंबर 2016 को खारिज कर दिया गया था। अपीलार्थी ने अपील में उच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है;

अपीलार्थी ने यह दावा करके अदालत को गुमराह किया है कि शामजीभाई ने 1999 में अपने पक्ष में एक बिक्री विलेख दर्ज किया था। दस्तावेज़ पंजीकृत नहीं है। वकील की शक्ति और

बिक्री विलेख जाली दस्तावेज होते हैं और पूर्व एफ. आई. आर. का विषय होते हैं।

पक्षों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है जिसे आपराधिक रंग दिया गया है।

1 2013 की संख्या 32 और 2017 की संख्या 58 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(xiv) अपीलार्थी ने चौथे के साथ समझौता किया है।

और पाँचवाँ उत्तरदाता, जो केवल अभियुक्त व्यक्ति थे जबरन वसूली का। दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है

छठे से नौवें उत्तरदाताओं के साथ समझौता करने के लिए

पुलिस तंत्र की मदद;

(xv) 3 साल और 6 साल के अंतराल के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

महीनों; और

(xvi) उत्तरदाताओं के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं

जो एक अपराध है।

14. प्रतिद्वंद्वी विवादों पर अब विचार किया जाएगा।

15. जहाँ तक छठे से नौवें उत्तरदाताओं का संबंध है, उनके

2019 के एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5736-5739 में इस न्यायालय के समक्ष स्थिति इस प्रकार है:

अभियुक्त का नाम नं. सीआरएल। एम. ए. नहीं। इससे पहले

ऑर्डर की तारीख

उत्तरदाता

नं.

आरोपित

उच्च न्यायालय

यहाँ

उच्च द्वारा

अदालत

8 जनवरी 2019

उत्तरदाता

संख्या 6

7

सीआरएल।एम. ए. सं. 10612

अश्विनभाई

परशोतमभाई लीला

2016 का

उत्तरदाता

संख्या 7

8 जनवरी 2019

6

सीआरएल।एम. ए. सं. 10651

किरण

परशोत्तमभाई

2016 का

हपालिया

उत्तरदाता

संख्या 8

बाबूभाई।

8 जनवरी 2019

के रूप में प्रस्तुत किया गया

एस. सीआरएल. ए. नं. 10140

नानजीभाई

एक अभियुक्त

2016 का

भाकोहदिया

मसौदा

आरोप पत्र

उत्तरदाता

संख्या 9

जतिन हसमुख बाई

8 जनवरी 2019

के रूप में प्रस्तुत किया गया

एस. सीआरएल. ए. सं. 5859

एक अभियुक्त

पिपलिया

2016 का

मसौदा

आरोप पत्र

जबकि छठे और सातवें उत्तरदाताओं को प्राथमिकी में नामित किया गया था,

वे अपीलार्थी से संबंधित थे और उससे धन की जबरन वसूली में पक्षकार थे। यह आरोप लगाया जाता है कि छठे, सातवें और नौवें उत्तरदाताओं ने शामजिभाई के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ वित्तपोषण के लिए अव्यवस्थित समझौतों को अंजाम दिया भूमि के स्वामित्व से संबंधित दीवानी मुकदमा। आठवें प्रतिवादी, जो एक अधिवक्ता है, पर आरोप है कि उसने अन्य अभियुक्तों को अधिवक्ता की शक्तियों और समझौता ज्ञापनों का मसौदा तैयार करने में मदद की थी।

16. इससे पहले कि हम जांच करें कि क्या उच्च न्यायालय ने उल्लंघन किया है

सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग पर सीमाएं, इस बात का अवलोकन देना उपयोगी होगा कि कार्यवाही कैसे विकसित हुई है।

एल. जेन्टल कोटेचा बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]17. धारा 465,467,468 और अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के कहने पर 2016 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आईपीसी की। आठ लोगों को आरोपी के रूप में नामित किया गया था:

" (1) रिताबेन उर्फ रमाबेन

(2) करणभाई गोरधनभाई सोलंकी,

(4) मगनभाई देवाभाई वाघेला (5) जयाबेन

(7) अश्विन परशोत्तमभाई लीला (पटेल) (8) जैमिंगिरी मगंगिरी गोस्वामी "

18. एफ. आई. आर. दर्ज होने पर, गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 482 ई. सी. आर. पी. सी. के तहत याचिकाएं दायर की गईं। 2 मई 2016 के एक आदेश द्वारा, एक एकल न्यायाधीश ने जांच जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना कोई भी अंतिम रिपोर्ट (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत) नहीं दी जाएगी। उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश दर्ज करता है कि यह दो विचारों पर आधारित है:

(i) अपीलार्थी के खिलाफ दूसरे प्रतिवादी द्वारा पहले की शिकायत दर्ज की गई थी। उन कार्यवाहियों में, अपीलार्थी और अन्य लोगों के खिलाफ एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था; और (ii) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, राजकोट के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें दूसरे प्रतिवादी की रक्षा करते हुए 8 फरवरी 2013 को निषेधाज्ञा का एक अंतर्वर्ती आदेश पारित किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था

एफ. आई. आर. रद्द करने के लिए:

" 6. इस मामले में जांच जारी रहेगी। आई. ओ. इस मामले की जाँच करते समय इस बात को ध्यान में रखेगा कि वर्तमान याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले की गई शिकायत, जिसमें वर्तमान प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और लंबित दीवानी मुकदमे का विवरण है। इस न्यायालय की अनुमति के बिना कोई अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाएगी। का अधिकार

2016 की संख्या आई-124

2011 का उलर सिविल सूट सं. 157 [2021] 11 एस. सी. आर.

उत्तर दाखिल करने के लिए उत्तरदाता संख्या 2 को खुला रखा जाता है। सीधी सेवा है

अनुमति दी "।

19. अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई एफ़. आई. आर. की जाँच की गई, जिस पर 9 अगस्त 2017 को पुलिस निरीक्षक द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था।

डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन, राजकोट शहर ने उच्च न्यायालय के महापंजीयक से आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी। उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान, ए. पी. पी. द्वारा एफ. आई. आर. और आरोप पत्र की सामग्री की ओर इशारा करते हुए प्रस्तुतियाँ दी गईं। आरोप-पत्र को "मसौदा आरोप-पत्र" के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को देखते हुए, इस पर एक प्रतिबंध था

उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत करना। इस स्तर पर, ए. पी. पी. द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष आग्रह की गई प्रस्तुतियों का विज्ञापन करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें एफ. आई. आर. दर्ज होने के बाद जांच के दौरान सामने आई सामग्री का उल्लेख किया जाता है। प्रस्तुतियाँ

उच्च न्यायालय के निर्णय में संक्षेपित किया गया है और इस प्रकार पढ़ा गया है:

" 6.2 ज्ञात ऐप. जांच अधिकारी के निर्देश पर प्रस्तुत किया गया है कि अब तक जालसाजी के अपराधों का संबंध है, वर्तमान आवेदकों के खिलाफ ऐसा नहीं किया जाता है। हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आगे की जाँच से पता चलता है कि उनके खिलाफ जबरन वसूली और धोखाधड़ी के अपराध प्रथम दृष्टया स्थापित हैं। उन्होंने विभिन्न गवाहों के बयान पर भरोसा किया है

इस संबंध में। 6.3 लर्नड ऐप ने जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के विभिन्न बयानों पर भरोसा किया है। उन्होंने जीतुलभाई जेंटिलाल कोटेचा के बयान पर भरोसा किया है और

लालभाई कोरैया पर जाँच अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया

18.07.2016 . उन्होंने कहा है कि आज से आठ महीने पहले, उन्होंने अपने वकील मित्र हर्षदभाई को मोबाइल फोन पर,

उस समय उनके दोस्त हर्षदभाई ने उन्हें बताया कि वकील बाबूभाई उनके साथ हैं और वह उनसे विवादित मुद्दे पर बात करना चाहते हैं।

भूमि, और उसके बाद, उन्होंने उक्त अधिवक्ता से बात की। वकील ने उन्हें सूचित किया कि समझौता करने के लिए, एक बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है।

करणभाई, मगनभाई आदि को भुगतान किया जाए, और जब उन्होंने राशि के बारे में पूछा, तो अधिवक्ता बाबूभाई ने उन्हें सूचित किया कि वे समझौता करने के लिए रुपये की मांग कर रहे हैं।

मजबूत सिर वाले व्यक्तियों के साथ समझौता।

एल. जेन्टल कोटेचा बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

कि जमीन दो महिलाओं की है और तदनुसार, उन्होंने रुपये के स्टांप पेपर पर अपने नाम से समझौता तैयार किया है। 100 / - . यह है। Mr.Jenish प्रेरमजी द्वारा प्रस्तुत किया गया कि इसके बाद, उन्होंने समझौते से संबंधित उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और तदनुसार, उक्त व्यक्ति ने उन्हें Rs.25,000/- का भुगतान करने के लिए कहा था और आगे

किशोरभाई जरिया, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने एक अश्विनभाई को Rs.90,000/(केवल नब्बे हजार रुपये) दिए थे परशोत्तमभाई लीला ने 12.04.2016 पर, लेकिन उन्होंने इस आशय की कोई रसीद नहीं ली। यह उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसे वह समाचार पत्र में पढ़ता है।

घटना के बारे में। जब उसने अश्विनभाई से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका मोबाइल फोन बंद था, और उसके बाद, उसने जेतुल कोटेचा से संपर्क किया और बयान देने के लिए डी. सी. बी. पुलिस स्टेशन गया। उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि अश्विनभाई ने उन्हें एक समझौता दिया था

Rs.100/- के स्टाम्प पेपर के साथ-साथ शक्ति की प्रति

वकील।

6.6 लर्नड एपीपी ने भी नरेंद्रभाई चगनभाई नासित के एक बयान पर भरोसा किया है जो जाँचकर्ता द्वारा दर्ज किया गया है।

21.05.2016 पर अधिकारी जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें उक्त भूमि में निवेश करने के लिए एक Mr.Ashwinbhai द्वारा संपर्क किया गया था और

रुपये. 2,50,000/- (दो लाख रुपये और पचास [2021] 11 एस. सी. आर.) की भी मांग की।

जीतुलभाई कोटेचा एक व्यवसायी हैं और अगर हम उन्हें मजबूर करते हैं, तो वह उस समय Rs.50,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) या 1,00,00,000/(केवल एक करोड़ रुपये) का भुगतान करेंगे, उन्होंने अश्विनभाई से कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था, और उसके बाद, अपने छोटे भाई के साथ वहाँ से चला गया। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने समझौता विलेख पर कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अपने छोटे भाई के नाम पर एक क्रॉस लगाया है और उक्त समझौता अश्विनभाई द्वारा डेढ़ महीने के बाद लिखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उनके द्वारा लिए गए रुपये (दो लाख पचास हजार रुपये) के संबंध में कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की थी।

अश्विनभाई। 6.7 लर्नड ऐप ने आगे एक पुनीत एस/ओ के कथन पर निर्भरता रखी है। जाँचकर्ता द्वारा दर्ज किए गए नरसिभाई उदेसा

09.06.2016 पर अधिकारी और उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि करणभाई सोलंकी और जेतुलभाई के बीच विवाद चल रहा था और आधा समय पहले उनके चाचा करणभाई जीतुलभाई कोटेचा से मिले थे।

समझौता करने के लिए यूरोपिन होटल, उस समय, जेतुलभाई ने समझौते के लिए रुपये. 2,50,000/(दो लाख और पचास हजार रुपये) की पेशकश की थी और यह सुनकर, उनके चाचा करण सोलंकी होटल से चले गए। आगे कहा गया है कि जब वे होटल के बाहर अपने चाचा करणभाई से मिले, तो उनके चाचा ने बताया कि वे रुपये नहीं लेंगे।

हजार) जीतुलभाई के साथ समझौता करने के लिए।

6.8 उपरोक्त बयान को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एपीपी ने प्रस्तुत किया है कि प्रथम दृष्टया, वर्तमान के खिलाफ जबरन वसूली का मामला बनाया गया है।

आवेदकों और इसलिए, इस स्तर पर प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के निर्णय से उपरोक्त उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाएगा कि एकल न्यायाधीश को 20 मई 2016,21 मई 2016 और 9 जून को जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयानों से विधिवत अवगत कराया गया था।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

2016. जब उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत याचिकाओं पर सुनवाई की, तो जांच अधिकारी ने जांच पूरी होने पर धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी।

सक्षम न्यायालय। यह उच्च न्यायालय द्वारा अपने विवादित आदेश के पैराग्राफ 9 में नोट किया गया था जो इस प्रकार है:

" 9.0 2016 का सी. आर. आई.-124 होने के कारण विवादित एफ. आई. आर. वर्तमान रिट आवेदकों के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 465,467,468,120 बी और 34 के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया है। रिट आवेदनों के लंबित रहने के दौरान एक मसौदा आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें

अपराधों को आई. पी. सी. की धारा 385,389,418,423,477,506 (2), 120 बी, 34 में बदल दिया गया है। इस प्रकार, इस न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या एफ. आई. आर. की सामग्री जबरन वसूली और धोखाधड़ी के अपराध को प्रकट करती है।

वर्तमान आवेदकों के खिलाफ।

उपरोक्त उद्धरण में, उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि उसके समक्ष एक "मसौदा आरोप पत्र" प्रस्तुत किया गया था। फिर भी उच्च न्यायालय आगे बढ़ा

इसके समक्ष इस मुद्दे को तैयार करने के लिए कि क्या प्राथमिकी की सामग्री से पता चलता है कि प्रत्यर्थियों द्वारा जबरन वसूली और धोखाधड़ी के अपराध किए गए थे। लेकिन अपने अंतिम आदेश में, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अभियुक्त के संबंध में 2016 की एफ. आई. आर. I-124 के साथ-साथ "उसी एफ. आई. आर. से उत्पन्न होने वाली अन्य परिणामी कार्यवाही" को रद्द कर दिया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जबरन वसूली का एक कथित अपराध दंडनीय है

प्रत्यर्थियों) और जबरन वसूली के अपराध के लिए उनके खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। एफ़. आई. आर. और मसौदा आरोप-पत्र में जैसा कि आरोप लगाया गया है, अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कोई अपराध स्थापित नहीं किया गया था। 20. यह एक सामान्य कानून है कि उच्च न्यायालय को धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम और सावधानी के साथ करना चाहिए। में

जुगेश सहगल बनाम में निर्णय। शमशेर सिंह गोगी, 1 7 इस न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया गया कि "[टी] वह अंतर्निहित शक्तियाँ उच्च न्यायालय को सनक या सनक के अनुसार कार्य करने के लिए एक मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।" सिमरिखिया बनाम। डॉली मुखर्जी, 1 8 इस न्यायालय ने एक अन्य संदर्भ में यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 को ध्यान में रखते हुए अपने पहले के निर्णय की समीक्षा करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है, कहा कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग वैधानिकता को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रावधान। इस न्यायालय ने कहा:

17 (2009) 14 एस. सी. सी. 683 1 8 18 (1990) 2 एससीसी 437 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 5. ..... धारा 482 उच्च न्यायालय को ऐसा आदेश देने में सक्षम बनाती है - संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है या

किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा सुरक्षित करने के लिए न्याय का अंत। हालाँकि , अंतर्निहित शक्तियाँ उतनी ही हैं

सिद्धांत और पूर्ववर्ती द्वारा नियंत्रित जैसा कि इसकी व्यक्त शक्तियाँ हैं कानून द्वारा। यदि कोई मामला कानून के एक स्पष्ट पत्र द्वारा कवर किया जाता है,

न्यायालय वैधानिक प्रावधानों को मंजूरी नहीं दे सकता है।

और इसके बजाय अंतर्निहित की आड़ में एक नया प्रावधान विकसित करें

अधिकार क्षेत्र "।

(जोर दिया गया)

पुलिस के पास संज्ञेय अपराध की जांच करने का वैधानिक अधिकार है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 और 156 के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 की उप-धारा 2 (i) में प्रावधान है कि जांच पूरी होने के बाद, पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को अंतिम रिपोर्ट भेजेगा जो रिपोर्ट में कथित अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त है। अपराध का संज्ञान लेने से पहले, मजिस्ट्रेट को अपना दिमाग लगाना होता है और वह पुलिस द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से बाध्य नहीं होता है। प्रतिभा बनाम। रामेश्वरी देवी 1 9 19 एक दो-न्यायाधीश इस न्यायालय की पीठ ने कहा है कि उच्च न्यायालय न तो किसी जांच एजेंसी को अपने समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और न ही वह ऐसी रिपोर्ट के आधार पर धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है जब रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत नहीं की गई है। न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“ 18. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय से अधिक कार्य किया है।

जाँच रिपोर्ट और उच्च न्यायालय पर भरोसा करके अधिकार क्षेत्र

यह। अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि यह जांच एजेंसी के लिए है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

इस प्रावधान [धारा 173 (2) (i)] के खाली पढ़ने से, यह विवादित नहीं हो सकता है कि जांच पूरी होने के बाद, अधिकारी

पुलिस स्टेशन का प्रभारी रिपोर्ट को उच्च न्यायालय को नहीं भेजेगा जहां संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही लंबित है, बल्कि ऐसे पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को भेजेगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने

19 19 (2007) 12 एस. सी. सी. 369 जीतुल जेन्टल कोटेचा बनाम। गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए जांच एजेंसी को उसके समक्ष उक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने के लिए अपनी शक्ति से परे काम किया।

21. इसलिए, यहां ऊपर की गई हमारी चर्चाओं को देखते हुए, संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय के लिए जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर भरोसा करने का अधिकार नहीं है

न ही यह रिपोर्ट को उसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है क्योंकि कानून बहुत स्पष्ट है कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट हो सकती है

मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार की गई सामग्री को रिकॉर्ड पर विचार करने पर अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति होने के कारण, संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा जांच एजेंसी की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से पहले ही उसके समक्ष प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर विचार करने पर प्राथमिकी को रद्द करने में गलती की है।

2 मई 2016 के अपने अंतरिम आदेश में, उच्च न्यायालय ने आरोपी के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी, लेकिन निर्देश दिया कि अंतिम

मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। निर्देश किसी भी तर्क द्वारा समर्थित नहीं था। अंतरिम स्तर पर भी, उच्च न्यायालय को विवेकपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए और किसी भी अंतर्वर्ती निर्देश को जारी करने के लिए कारण प्रस्तुत करना चाहिए, जो इस न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त मामले में परीक्षण किए जाने में सक्षम है। अंतरिम निर्देश सी. आर. पी. सी. के तहत परिकल्पित जांच प्रक्रिया में अनावश्यक हस्तक्षेप के बराबर था। उच्च न्यायालय ने पुलिस को प्रतिबंधित करके उसे प्रदत्त शक्तियों के दायरे का उल्लंघन किया।

मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत करना और उसके समक्ष कार्यवाही में "आरोप-पत्र के मसौदे" की विषय-वस्तु पर आगे विचार करना।

धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं। ऐसे मामलों में, उच्च न्यायालय को जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कप्तान सिंह बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य 20, जिसमें से हम में से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) इसका हिस्सा थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है।

20 2021 की आपराधिक अपील संख्या 787 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष रखे जाने वाले "मसौदा आरोप पत्र" पर भरोसा रखें।

22. हाल ही में, महेंद्र के. सी. बनाम. कर्नाटक राज्य 2 1 इस न्यायालय ने एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा लागू किए जाने वाले सुव्यवस्थित परीक्षण को दोहराया:

" 16 ..... लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप, शिकायत को जोड़े या उससे अलग किए बिना, प्रथम दृष्टया कथित अपराध के तत्वों को स्थापित करते हैं। इस स्तर पर, उच्च न्यायालय आरोपों की सत्यता का परीक्षण नहीं कर सकता है और न ही उस मामले के लिए वह उस तरीके से आगे बढ़ सकता है जिस तरह से मुकदमे का संचालन करने वाला न्यायाधीश मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्षय के आधार पर करेगा।

23. वर्तमान मामले में, एफ. आई. आर. में निम्नलिखित उद्धरण में छठे और सातवें उत्तरदाताओं द्वारा निभाई गई भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है:

" ..... उपरोक्त भूमि वर्ष 1999 से हमारे पास होने के बावजूद, शामजिभाई जशाभाई कोली यानी रमाबेन कोली, सविताबेन कोली और जयाबेन कोली की तीनों बेटियों ने करणभाई परशोतमभाई हथलिया नाम के एक व्यक्ति के पक्ष में आई. डी. 1 पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन किया था।

इस भूमि को 2 करोड़ रुपये की राशि के अलावा 2 करोड़ रुपये की राशि में बेचने का निर्णय लिया गया। 5 , 51 , 000 / - (पाँच लाख और केवल पचास हजार रुपये) का भुगतान नकद में किया गया था। पार्टी नंबर 1 ने ऐसे तथ्य बताए।

इसके अलावा, सवितावेन और रितावेन ने एक दूसरे की शक्ति का निष्पादन किया था।

अश्विनभाई परशोत्तमभाई पटेल के पक्ष में वकील और समझौता ज्ञापन और उस ज्ञापन में

यह भी कहा गया था कि एक राशि

रु. 5,00,000 / - (उन्होंने आगे कहा कि अश्विनभाई पटेल ने फांसी दिए गए लोगों को चेक के माध्यम से केवल पांच लाख रुपये का भुगतान किया था।

कि, यदि उन्हें उपरोक्त संपत्ति में शेयर दिए जाते हैं तो वे

21 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1238 जीतुल जे. जे. कोटेचा बनाम.

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

नकद देने पर भी उक्त राशि का पचास प्रतिशत उनके हिस्से आदि में होगा। इस प्रकार मैंने उपरोक्त भूमि खरीदी है।

शामजिभाई जशाभाई कोली और शामजिभाई कोली के उत्तराधिकारियों से

अर्थात रिताबेन उर्फ रमाबेन, करणभाई सोलंकी की पत्नी और उनकी पत्नी पति करणभाई गोरधनभाई सोलंकी, दोनों रहते हैं

घनश्यामनगर कोठारिया रोड और मगनभाई की पत्नी सविता बेन

वाघेला और उनके पति मगनभाई देवाभाई वाघेला, दोनों

कॉलोनी, चंद्रेशनगर मेन रोड, राजकोट और अश्विनभाई परशोत्तमभाई लीला (पटेल) मोटा मावा तालुका में रहते हैं।

जिला राजकोट और जैमिंगिरी मगनगिरी गोस्वामी में रहते हैं ए/5, साम्राज्य अपार्टमेंट, न्यू कॉलेजवाड़ी, कलावाड़ रोड,

के समक्ष विवादित और उप-न्याय के समान बनाना अदालत बड़ी राशि प्राप्त करने या प्राप्त करने का इरादा रखती है।

उक्त भूमि उनके आर्थिक लाभ के लिए जिसके लिए कानूनी रूप से उन्हें झूठा, मनगढ़ंत प्रत्यारोपण करने का कोई अधिकार नहीं है

और जाली दस्तावेज और इसलिए, यह मेरी कानूनी शिकायत है उनके खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो बाहर निकलते हैं

जाँच "।

(जोर दिया गया)

एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया इंगित करते हैं कि छठा और

सातवें उत्तरदाताओं ने शामजिभाई के कानूनी उत्तराधिकारियों के साथ अस्थिर समझौते किए और उन पर अपीलार्थी से धन की जबरन वसूली में शामिल होने का आरोप लगाया गया। विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि उनके चेहरे पर लगे आरोपों से पता चलता है कि चौथे और पांचवें प्रतिवादी ने धारा 385 के तहत जबरन वसूली का अपराध किया है आई. पी. सी. और निर्देश दिया कि उनके खिलाफ जांच जारी रखी जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप की जांच करने में पूरी तरह से विफल रहा, जहां यह आरोप लगाया गया है कि वे भी इस तरह की जबरन वसूली के लिए गुप्त थे। इस प्रकार ऐसी परिस्थितियों में, [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जब अभियुक्त को एक विशिष्ट भूमिका के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, तो उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्राथमिकी को रद्द नहीं कर सकता था।

24. अपने विवादित फैसले के दौरान, उच्च न्यायालय ने

इस बात पर ध्यान दिया कि कुछ व्यक्तियों (आठवें और नौवें प्रतिवादी), जिन्हें मसौदा आरोप-पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, ने स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष मसौदा आरोप-पत्र रखे जाने से पहले रद्द करने की याचिकाएं दायर की थीं। इस पृष्ठभूमि में, उस निवेदन में सार है जिसका आग्रह अपीलार्थी की ओर से किया गया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही ने एक असामान्य, यदि असाधारण पाठ्यक्रम का पालन नहीं किया है।

उच्च न्यायालय उन व्यक्तियों के कहने पर धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए याचिकाओं पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा, जिनका नाम विशुद्ध रूप से मसौदा आरोप-पत्र में उनके नामों के आधार पर प्राथमिकी में नहीं था। जाँच अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक मसौदा आरोप-पत्र केवल अंतरिम आदेश के अनुसार सक्षम अदालत में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसकी अनुमति लेने के लिए रखा गया था। में ज्ञान

सी. आर. पी. सी. 22 की धारा 207 के तहत आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध होने के बाद जांच के दौरान जो कुछ हुआ है, उसके संबंध में अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है। जाहिर है, वे लोग जिनके नाम

आरोप-पत्र के मसौदे में जिनका उल्लेख किया गया था, वे पहले ही धारा 482 के तहत कार्यवाही में उच्च न्यायालय का रुख कर चुके थे, जो जांच अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत करने से पहले सक्षम अदालत के समक्ष इसे प्रस्तुत करने की अनुमति लेने के लिए था। कानून के अनुसार। वास्तव में, मसौदा आरोप-पत्र रिकॉर्ड करता है

22 1 2 " 207. अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें। किसी भी मामले में जहां पुलिस रिपोर्ट पर कार्यवाही शुरू की गई है, मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के अभियुक्त को निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति मुफ्त में प्रस्तुत करेगाः ((i) पुलिस रिपोर्ट;

((ख) धारा 154 के अधीन अभिलिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट; (ग) धारा 161 की उप-धारा (3) के अधीन अभिलिखित उन सभी व्यक्तियों के बयान, जिनसे अभियोजन पक्ष अपने गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है, उन सभी को ऐसे किसी भी भाग को छोड़कर, जिसके संबंध में धारा 173 की उप-धारा (6) के अधीन पुलिस अधिकारी द्वारा इस प्रकार के अपवर्जन का अनुरोध किया गया है।

((iv) धारा 164 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयान और बयान, यदि कोई हों;

(v) धारा 173 की उप-धारा (5) के तहत पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजा गया कोई अन्य दस्तावेज या उसका प्रासंगिक उद्धरणः बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, खंड (iii) में निर्दिष्ट बयान के किसी ऐसे हिस्से को देखने के बाद और अनुरोध के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के बाद, निर्देश दे सकता है कि बयान के उस हिस्से की या उसके ऐसे हिस्से की एक प्रति जो मजिस्ट्रेट उचित समझे, अभियुक्त को प्रस्तुत की जाएगीः बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि खंड (v) में निर्दिष्ट कोई दस्तावेज विशाल है, तो वह अभियुक्त को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करने के बजाय निर्देश देगा कि उसे केवल व्यक्तिगत रूप से या अदालत में वकील के माध्यम से इसका निरीक्षण करने की अनुमति दी जाएगी। जीतुल जेन्टल कोटेचा बनाम।

गुजरात राज्य और ओ. आर. एस. ईटीसी। [डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.]

उच्च न्यायालय में खारिज करने के लिए याचिकाएं दायर करना जो इंगित करता है कि आरोप पत्र को उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाए जाने से पहले ही रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की जा चुकी थीं। उच्च न्यायालय को इन घटनाक्रमों पर ध्यान देना चाहिए था। अपीलार्थी ने मौखिक और लिखित दोनों प्रस्तुतियों के दौरान प्रस्तुत किया है कि इन घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि अभियुक्त इस मामले में संलिप्त थे।

पुलिस। उच्च न्यायालय को अपनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के लिए जीवित रहना चाहिए था।

25. उत्तरदाताओं की ओर से, यह प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान, छठे से नौवें उत्तरदाता, जो थे

सत्र न्यायाधीश के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए आवेदन, यह उन व्यक्तियों के कहने पर धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए याचिका का आधार प्रस्तुत नहीं कर सका, जिनका नाम प्राथमिकी में नहीं था और जिन्होंने, जैसा कि पहले कहा गया था, मसौदे से पहले ही रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी थी उच्च न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उच्च न्यायालय के फैसले से संकेत मिलता है कि विभिन्न रद्द करने वाली याचिकाओं में आवेदकों द्वारा उसके समक्ष स्थापित मामले का विश्लेषण करते हुए, उसने उन आवेदकों के संबंध में प्राथमिकी और मसौदा आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा है, जिन्हें रद्द किया गया था।

एफ. आई. आर. में अभियुक्त के रूप में भी पेश नहीं किया गया। आठवें और नौवें उत्तरदाताओं के खिलाफ जांच में उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप समय से पहले था और इसकी आवश्यकता नहीं थी। 26. मौखिक दलीलों के दौरान, विद्वान वकील द्वारा उत्तरदाताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि एक पूर्व शिकायत की गई थी

अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रस्तुत किया गया था

एक चार्ज-शीट का। प्रत्यर्थियों को इस न्यायालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहिए था कि 8 जुलाई 2021 को आपराधिक विविध मामलों में उच्च न्यायालय। 2021 की आवेदन संख्या 10523 ने अपीलार्थी के कहने पर पूर्व शिकायत के साथ-साथ आरोप पत्र और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया था, एक तथ्य जो अपीलार्थी की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों से सामने आया था। प्रत्यर्थियों की ओर से एक अन्य निवेदन जिसमें आग्रह किया गया था, वह यह है कि अपीलकर्ता कुछ अभियुक्तों के संबंध में एक समझौते पर पहुंच गया था और पूरी प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया था। इस पहलू पर, अपीलार्थी ने लिखित प्रस्तुतियों में दर्ज किया है कि क्रिमिनल मिस्क का ज्ञापन। 2021 का आवेदन संख्या 10529 दो व्यक्तियों (चौथे और पांचवें उत्तरदाताओं) द्वारा दायर किया गया था, जिनके संबंध में [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यवाही जारी रखने का निर्देश दिया गया। यह इस पृष्ठभूमि में है कि 9 जुलाई 2021 के आदेश में दर्ज किया गया है कि पूरी प्राथमिकी रद्द कर दी गई है। 8 जनवरी 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के परिणामस्वरूप उपरोक्त दो व्यक्तियों को छोड़कर सभी अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी गई। इसलिए, 9 जुलाई 2021 के आदेश ने केवल शेष दो अभियुक्तों के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिनके साथ बाद में समझौता किया गया था। समझौता छठे प्रतिवादी द्वारा दायर जवाबी हलफनामे के अनुलग्नक आर-1 के रूप में संलग्न किया गया है। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी ने कहा कि 2019 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5734 और 5735 पर दबाव नहीं डाला जा रहा है। उपरोक्त एस. एल. पी. के उत्तरदाता उस भूमि के विक्रेता के कानूनी उत्तराधिकारी हैं जिससे अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्यों ने भूमि और उनके जीवनसाथी को खरीदा था। अन्य अभियुक्त कथित रूप से

वे व्यक्ति हैं जिन्होंने अव्यवस्थित समझौतों को निष्पादित किया था या उनके निष्पादन में सहायता की थी (आठवें प्रतिवादी) और जिन पर अपीलार्थी से धन की जबरन वसूली में पक्षकार होने का आरोप है। 27. उपरोक्त कारणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है।

एफ. आई. आर. और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द करने में सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया है। हम तदनुसार 8 जनवरी 2019 के उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार करते हैं और 2019 के एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5736-39 से उत्पन्न आपराधिक अपीलों की अनुमति देते हैं।

निर्णय से ऊपर। हालाँकि, 2019 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5734 और 5735 से उत्पन्न आपराधिक अपीलें खारिज हो जाएंगी।

28. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई निपटाया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

निधि जैन